संख्या- 04 /2018/1086/22-4-17-48(7)/17

प्रेषक,

कलाम मुहीउद्दीन,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-24 जनवरी, 2018

विषय- प्रदेश की कारागारों में आधुनिक पाकशाला उपकरणों तथा समुचित वेण्टीलेशन हेतु इलेक्ट्रानिक चिमनी सिस्टम स्थापित किये जाने के लिए प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-37613/आधु0-1/किचन/2017, दिनांक-17 अक्टूबर, 2017 एवं पत्र संख्या-41635/आधु0-1/पाकशाला/2017, दिनांक-20 नवम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की 25 कारागारों में आधुनिक पाकशाला उपकरणों तथा समुचित वेण्टीलेशन हेतु इलेक्ट्रानिक चिमनी सिस्टम स्थापित कराये जाने हेतु रू0 50,00,00,000/- की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त कार्य हेतु नई मांग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0 50,00,00,000/- (रूपये पॉच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं।

(क) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(ख) प्रश्नगत उपकरण का क्रय सुसंसगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उघम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(ग) उक्त उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(घ) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(ड़) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस निमित्त होना वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-21-कारागारों के पाकशालाओं का आधुनिकीकरण-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद" में उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-114/दस-2018, दिनांक 22 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कलाम मुहीउद्दीन
उप सचिव।

संख्या-04/2018/1086(1)/22-4-17-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा मुख्यालय, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कलाम मुहीउद्दीन
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in